



केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय  
श्री रणवीर परिसर  
कोट-भलवाल, जम्मू-181122

के.सं.वि.वि.ज./16013/2020-21/ 1315

दिनांक:-15.02.2021

कार्यालय आदेश

जम्मू कश्मीर राज्य सरकार के आदेश संख्या 18- JK(HE) of 2021 दिनांक 28.01.2021 के निम्नलिखित दिशा निर्देशानुसार दिनांक 01 फरवरी, 2021 से परिसर पूर्णतः खोल दिया गया है। अब परिसर की कक्षाएं भी चरणबद्धता के साथ खोलने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 22.02.2021 से निम्नलिखित क्रमानुसार अग्रिम आदेश तक सभी कक्षाएं संचालित की जाएंगी। साथ ही ऑनलाईन शिक्षण भी पूर्ववत् संचालित रहेगा।

क्रं.सं.	सोम, मंगल, बुधवार	गुरु, शुक्र, शनिवार
1.	प्राक् शास्त्री प्रथम वर्ष	प्राक् शास्त्री द्वितीय वर्ष
2.	शास्त्री प्रथम वर्ष	शास्त्री द्वितीय, एवं तृतीय वर्ष
3.	आचार्य प्रथम वर्ष	आचार्य द्वितीय वर्ष
4.	शिक्षाशास्त्री प्रथम वर्ष	शिक्षाशास्त्री द्वितीय वर्ष

अतः उक्त कक्षाओं के सभी छात्र निम्नलिखित नियमों का पालन करते हुए कक्षा में उपस्थित हो कर उक्त दिवसों में अध्ययन करेंगे।

1. यूजीसी द्वारा जारी किए गए सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और एसओपी के सुझावों के परिपालनार्थ एक सलाहकार समिति गठित की गई है जिसके सभी सुझावों को मानना अनिवार्य होगा।
2. निगरानी और सहायता के लिए नगर निकाय, स्वास्थ्य और कुछ अभिभावकों के सदस्यों सहित विश्वविद्यालय के कुछ अध्यापकों की एक समिति गठित की गई है। जो संक्रमण के जोखिम से बचने के लिए, छात्रों, संकायों और कर्मचारियों को उन्हें परिसर में प्रवेश करने से पहले नैदानिक रूप से मूल्यांकन करने की सलाह देगी। इस संबंध में, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजिंग, फेस मास्क आदि की जाँच सभी प्रवेश और निकास द्वारा पर करेगी।
3. सभी छात्रों, प्राध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा और उनके पास अपना सैनिटाइजर होना है। छात्र एक दूसरे से लगभग 2 गज दूरी पर अलग बैठेंगे। हर किसी को बार-बार साबुन से हाथ धोना अनिवार्य होगा।
4. उचित भौतिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।
5. परिसर छोड़ने के दौरान छात्रों और कर्मचारियों को एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखनी होगी।
6. छात्रों / संकाय सदस्यों के बीच पुस्तकों, पुस्तिकाओं, पेंसिल पेन और अन्य वस्तुओं का आदान-प्रदान करना वर्जित होगा।
7. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशानुसार पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होने के कारण परिसर में छात्रावास खोलना सम्भव नहीं होगा। अतः सभी छात्र अपनी व्यक्तिगत व्यवस्था से परिसर के बाहर निवास करेंगे।
8. परिसर में किसी भी सभा या सामूहिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगा।
9. परिसर का अल्पाहार केन्द्र खोलने की अनुमति नहीं होगी। पेय जल की व्यवस्था भी स्वयं के स्तर पर ही करना अनिवार्य है।

(प्रो. मदन मोहन झा)

निदेशक

प्रतिलिपि:-

1. परिसर के समस्त प्राध्यापकों को सूचनार्थ।
2. परिसर के समस्त कार्यालयीय कर्मचारियों को सूचनार्थ।
3. प्रभारी परिसर वेब साईट
4. छात्रों को सूचनार्थ।
5. सम्बन्धित पंजिका

(प्रो. मदन मोहन झा)

निदेशक